

प्रतिलेखन संख्या 29

महोदय, मैं दिल्ली के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। अब दिल्ली चूँकि केंद्र

शासित क्षेत्र है और दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र माना गया है तो स्वभावतः दिल्ली

वालों को यह आशा थी कि केंद्र से शासित होने से यहाँ पर उन्नति होगी और यहाँ

के लोगों को कुछ सुविधा मिलेगी, संतोष प्राप्त होगा, किंतु मैं यह देख रहा हूँ और

लोगों में भी यह भावना बढ़ती जा रही है कि जब से यह केंद्र शासित क्षेत्र हुआ है,

तब से शासन में निरंकुशता आने लगी है और लोगों की ओर ध्यान कम दिया जाने

लगा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रशासन के पुनर्गठन के ऊपर

पुनः जोर दिया जाना चाहिए और हो सके तो उसके लिए एक समिति बैठा दी जाए

और उसके लिए सोचा जाए कि दिल्ली का प्रशासन किस तरह का होना चाहिए।

मैं चाहता हूँ दिल्ली के प्रशासन के संबंध में आप विचार करें।

भ्रष्टाचार के संबंध में यहाँ बहुत कुछ कहा गया है। मैं पुनः उसको दोहराना नहीं

चाहता किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि आज देश में जनता का जो नैतिक

स्तर है वह दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि

उनका वह नैतिक स्तर किस प्रकार उठाया जाए और किस तरह से लोगों की

भावनाएँ बदली जाएँ, किस तरह से लोगों में अनुशासन रह सके। इसके लिए सोचना

अत्यंत आवश्यक है। हम जब भ्रष्टाचार की बात कहते हैं तब यह तो सभी मानते हैं

कि भ्रष्टाचार है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार मौजूद है। छोटे-से

अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक यह फैला हुआ है। भ्रष्टाचार केवल प्रशासन

में है ऐसी बात नहीं है, वरन यह लोगों में भी फैला हुआ है। जब करों की अदायगी

का प्रश्न आता है तब लोग दो-दो खाते बना लेते हैं और आयकर की चोरी करने

का प्रयत्न करते हैं और कर से बचने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे बगैर दोनों

हाथ के ताली के निवारण के लिए जितना अधिकारियों का कर्तव्य है उतना ही

कर्तव्य जनता का है। अधिकारियों को तो सतर्क रहना ही चाहिए क्योंकि यह जो

संसद है वह कानून बनाकर उनके हाथ में दे देती है उसका कार्यान्वयन करने के

लिए जमा और नौकरशाही को सहयोग से कार्य करना चाहिए।